न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या 242/2020/कैम्प टोंक

सुबराती पुत्र ईदू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम चावण्डिया तहसील मालपुरा जिला टोंक।

—अपीलांट

बनाम

1. श्योजीराम पुत्र रामकुंवार जाति जाट निवासी रामथला तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0
2. भू—आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक दिनांक 23.05.1998 प्रकरण उनवानी श्योजीराम बनाम सुबराती प्रकरण संख्या 31/1997 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970

———————————————

उपस्थित अभि0:— श्री जे0के0जैन(अपीलांट अभि0)

रेस्पोडेंट अभिभाषकः— अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः—17.02.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को ग्राम रामथला तहसील मालपुरा जिला टोंक में दिनांक 04.07.1986 को खसरा नम्बर 81/1 भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई थी। रेस्पोडेंट 1 द्वारा उक्त आवंटन को नियम 14(4) भू—आवंटन नियम 1970 के तहत निरस्त करवाने हेतु अपीलांट के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिसे 31/97 नम्बर पर दर्ज किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 23.05.1998 को प्रार्थना पत्र को अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक द्वारा स्वीकार कर आवंटन को निरस्त कर दिया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर दिनांक 12.01.2015 को अपीलांट द्वारा तत्समय न्यायालय आरएए टोंक में अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसे दिनांक 09.03.2015 को दर्ज रजिस्टर की जाकर 6/2015 नम्बर पर दर्ज किया गया। दिनांक 27.01.2020 को न्यायालय आरएए टोंक द्वारा राजस्व ग्रुप विभाग की अधीसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में पत्रावली को क्षेत्राधिकार होने से न्यायालय हाजा को सुनवाई हेतु प्रेषित किया। न्यायालय हाजा में उक्त पत्रावली को दिनांक 18.03.2020 को 242/2020 पर दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही आरम्भ की गयी। अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पहले नहीं थी। जब रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा बेदखल करने की जानकारी दी, तब दिनांक 17.12.2014 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 08.01.2015 को नकल प्राप्त हुई और इसके बाद शीघ्र अपील प्रस्तुत कर दी गयी। अपीलांट द्वारा निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत करना बताया है:—

1. अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।
2. आवंटन प्राप्त करने में उसके द्वारा कोई छल कपट नहीं किया गया।
3. काश्त नहीं करने एवं अन्य गांव का निवासी होने से आवंटन निरस्त किया गया जो उचित नहीं है। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:13 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित रहे। राजकीय अभिभाषक एवं रेस्पोडेंट अनुपस्थित रहे। बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि दिनांक 04.07.1986 को भूमि अलॉट हुई थी। दिनांक 23.05.1998 को अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा आवंटन को निरस्त कर दिया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना की गई है। आदेश 5 सीपीसी की पालना नही हुई है। मुझे गांव छोड़कर जाना बताया। रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया। आदेश 5 सीपीसी के मेण्डेटरी प्रावधान का पालन नहीं किया गया है। हम टेलर है। गिरदावरी जमाबंदी 2053–55 प्रस्तुत की थी। नियम अब बदल गये है। जिसके अनुसार 1998 से पहले के जितने भी आवंटन है। उन्हें काश्त नहीं करने के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। न्यायिक दृष्टांत 2018/आरबीजे/पेज 539 राजस्थान हाईकोर्ट का दृष्टांत दिया है।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का अवलोकन किया गया। चूंकि अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी। अतः उन्हें निर्णय की जानकारी नही हुई होगी। जानकारी दिनांक से अपीलांट की अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुख्य तौर पर तीन बातों को लेकर अपना निर्णय पारित किया है। जिसके अनुसार अपीलांट का व्यवसाय कृषि नहीं होकर टेलरिंग का है, अपीलांट द्वारा काश्त नहीं करना पाया जाता है तथा वह रामथला का निवासी न होकर ग्राम चावण्डिया का निवासी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जेकाश्त बाबत संवत 2045–53 की गिरदावरी का उल्लेख किया है। जिसके अनुसार भूमि पड़त बतायी गयी है। अपीलांट को दो बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया जाना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी ग्राम रामथला संवत 2049 से संवत 2052 में उक्त आवंटित भूमि पर अपीलांट द्वारा कोई काश्त नहीं करना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा भरे गये आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त आवेदन पत्र राजस्व एवं भू–सुधार विशेष अभियान वर्ष 1977 जिला टोंक के नाम से भरा गया था। जिसमें सुबराती खां पुत्र दूदूं खा मुसलमान निवासी चावण्डिया तहसील मालपुरा जिला टोंक व्यवसाय सिलाई अंकित किया है। आवंटन के बाद आदेश दिनांक 04.07.1986 को पत्रावली संख्या 768/1986 पर जारी किया है। वकील अपीलांट द्वारा बहस में यह बताया गया है कि 1998 से पहले जितने भी आवंटन है। उन्हें काश्त करने के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है।

कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 18 में आवंटन के बाद खातेदारी अधिकार बाबत बताया गया है। संशोधित नियम 18(4) के अनुसार जिन्हें भी दिनांक 29.09.1999 से पूर्व भूमि आवंटन की गई थी। मगर जिनके द्वारा प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत रकबा काश्त नहीं किया गया था। उनका आवंटन निरस्त नहीं किया जायेगा और वह खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी होगें। अगर उनके द्वारा विगत तीन वर्षों से लगातार आवंटित भूमि पर काश्त की जाती रही हो तो आवंटन की अन्य शर्तों का पालन किया गया। आवंटन निरस्तीकरण के समय अपीलांट गैर खातेदार की हैसियत के रूप में दर्ज था। उक्त नोटिफिकेशन दिनांक 27.05.1999 को जारी किया गया था। अपीलाधीन आवंटन निरस्तीकरण आदेश 23.05.1998 का होकर उससे पूर्व का आदेश है। अपीलांट के आवेदन पत्र से स्पष्ट है कि वह उसका व्यवसाय कपड़े सिलने का है। वर्तमान प्रकरण एलआरएक्ट के प्रावधानों से संबंधित है। एलआरएक्ट के संबंधित [illegible] में नियम 60 में नोटिस की तामील के बारे में बताया गया है। जिसमें व्यक्तिगत तामील और रजिस्टर्ड डाक से नोटिस को भेजे जाने का प्रावधान किया है तथा अधीनस्थ [illegible] बाबत कोई गलती नहीं की गई है। उनके द्वारा धारा 60 एलआरएक्ट के तहत [illegible] सही रूप से कार्यवाही की गई है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना नहीं की गई है। अपीलांट अभिभाषक द्वारा बताये

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 16:23:31 IST
Reason: SelfAttested

गये न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होते है। समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही के दौरान अपीलांट को नियमों के तहत रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा गया था। अपीलांट के द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 04.07.1986 के आवंटन की शर्त संख्या 3 आवंटिती को अपनी भूमि पहले वर्ष में आती तथा दूसरे वर्ष में समस्त भूमि काश्त करनी होगी की पालना नहीं की पालना नही की गई तथा अपीलांट का प्रकरण संशोधित नियम 18(4) के तहत भी कवर नही होता है। अपील अपीलांट निरस्त योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक प्रकरण संख्या 31/97 आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 04.07.1986 द्वारा भू–आवंटन सलाहकार समिति मालपुरा निर्णय दिनांक 23.05.1998 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:13 IST
Reason: SelfAttested